भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †2713
सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

हम्पी का विकास

†2713. श्री ई. तुकारामः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी के संरक्षण और विकास के लिए कोई प्रस्ताव है अथवा प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या हम्पी को विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई एकीकृत प्रबंधन योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय, अपनी चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, जैसे 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)'- स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप-योजना, 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई)', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ परामर्श से पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत हम्पी (कर्नाटक) में निम्नलिखित परियोजना को मंजूरी दी है:

योजना	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
स्वदेश दर्शन 2.0	हम्पी में 'ट्रैवलर नूक्स' की स्थापना	फरवरी 2024	**25.64**

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

******